

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला

आदेश क्रमांक जी-1/2004/1988 दिनांक 31-8-03

बी.के.एम. विश्वास मिडल स्कूल पंचकुला सेक्टर-9 प्रहली से आठवीं तक निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण करने उपरान्त की गई त्रिभारित्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर वर्ष 2004-2005 से स्थाई मान्यता जारी की जाती है:-

1. विद्यालय प्रबन्धक समिति स्कूल को अपने ही साधनों से चलावेगी और सरकार से किसी षद वा ग्रांट की मांग नहीं करेगी ।
2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई हिदायतों एवं शर्तों तथा एजुकेशन कोर्ड की धारा 214 से 237 तक सभी नियमों एवं हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना दिनांक अप्रैल 2003 संगीधित अधिसूचना दिनांक फरवरी 2004 की शर्तों को मनाने को बाध्य होंगे ।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-2 पर संगीधित होने पर नियमानुसार संगीधित राशी जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला के नाम से प्लज करवाते रहेंगे । शेष राशी-चार-किसतें में प्रति तीन मास में एक किसत जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला के नाम से प्लज करवायेगे ।
4. भावी नियुक्तियों विभाग/सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार ही की जायें ।
5. स्टाफ का पी.एफ/टी.पी.एफ सरकारके नियमानुसार लागू करेंगे ।
6. विद्यालय का अडिट विभागीय नियमानुसार समय-2 पर करवायेगे था कण्डों की देय राशी विभाग को समय-2 पर जमा करवायेगे बाकि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी की गई हिदायतों/आदेशों की पालना नहीं करता तो मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।


फूज खरी


जिला शिक्षा अधिकारी,
पंचकुला


पृ०कृ०स०

इत की प्रति निम्नलिखित कोसूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सेक्रेडरी शिक्षा हरियाणा, पण्डीगट ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।
4. मुख्याध्यापक-बी.के.एम. विश्वास मिडल स्कूल पंचकुला सेक्टर-9
5. प्रधान-बी.के.एम. विश्वास मिडल स्कूल पंचकुला सेक्टर-9
6. उपमंडल शिक्षा अधिकारी, पंचकुला
7. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पंचकुला / बण्ड शिक्षा अधिकारी-पंचकुला
8. अनुभाग अधिकारी/आंकडा सहायक/स्थापना


General Secretary
B.K.M. Vishvas School
Sector-9, Panchkula


Principal
B.K.M. Vishvas School
Sector-9, Panchkula


जिला शिक्षा अधिकारी,
पंचकुला ।